

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 14.03.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति

व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2016 धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉस्को एक्ट से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त आदित्य उर्फ विकास पुत्र अमर सिंह नि0 मुजरिया इन्द्रगण थाना इन्द्रगण कन्नौज को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/2023 धारा 147/148/224/225/307/332/336/352/353/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.राजन उर्फ रज्जन राठौर पुत्र स्व0 रामस्वरूप 2.शिवम उर्फ थानसिंह पुत्र महेश चन्द्र राठौर नि0गण ग्रा0 कटेही थाना डेरापुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/2023 धारा 363/366/368/120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.रामनाथ पुत्र स्व0 रामसहाय नि0 भंदेश थाना मंगलपुर का0दे0 2. रज्जन पुत्र अतिबल 3. रूबी पत्नी रज्जन नि0गण हथूमा थाना डेरापुर का0दे0 4. रेखा पत्नी धीरज नि0 करौंदा थाना मंगलपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त भगवानदास उर्फ बल्लू पुत्र स्व0 राम प्रताप निवासी ग्राम बिलसरांया थाना गजनेर कानपुर देहात उम्र करीब 43 वर्ष के कब्जे से 17 अदद देशी शराब के क्वार्टर क्रमशः 12 टिवन टावर व महबूबा गोल्ड के 5 अदद क्वार्टर देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 0050/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम हवासपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 20 लीटर शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 053/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों तथा थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।